

प्रारूप -घ

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ


पत्रांक: यू0आई0डी0:2018 / 47763 / LKW/LUCKNOW/3112 / जे0डी0

दिनांक: जुलाई 24, 2018

औपबन्धिक (PROVISIONAL) अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, की संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 सेक्टर-डी, द्वितीय तल शापिंग स्क्वायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा सेक्टर-सी0, पाकेट-06, गुप हाउसिंग-01, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन जो बेसमेंट+भूतल+14 तल का प्रस्तावित है, प्रत्येक टावर की उचाई 44.90 मीटर तथा प्लॉट एरिया 86808.98 वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन ए0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण -पत्र समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन का अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक: अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 की आख्या व मानचित्र 01 नग ।


24/07/2018
(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि

01- अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य आग्नेशमन अधिकारी

लखनऊ,

महोदय,

कृपया सहायक प्रबंधक मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 सेक्टर-डी,द्वितीय तल शापिंग रकवायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी,सुल्तानपुर रोड,लखनऊ के पत्र पर आप के पृष्ठाकन आदेश के अनुपालन में सेक्टर-सी0 पाकेट-06,ग्रुप हाउसिंग-01,सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड,लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के मानचित्र का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

भवन की संरचना:-

01-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का कुल प्लाट एरिया 86808.98 वर्ग मीटर है ।

02-प्रश्नगत भवन परिसर में कुल 16 टावर प्रस्तावित है जिनका विवरण निम्नलिखित है-

टावर-ए-1 से ए-05 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 915.57 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 838.04 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल से 11वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया- 867.96 वर्ग मीटर ।
- 12वें तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया- 853.97 वर्ग मीटर ।

टावर-बी-01 से बी-03 तक प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 668.61 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 590.75 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 633.90 वर्ग मीटर ।

टावर-सी0-01 से सी0-03 तक प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 1166.03 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 1129.15 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 1141.74 वर्ग मीटर ।

टावर-डी-01 व डी0-02 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 664.91 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 699.37 वर्ग मीटर ।

टावर-ई0-01 व ई0-03 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया- 749.25 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 916.55 वर्ग मीटर ।

टावर-ई0-02

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया- 601.80 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 933.14 वर्ग मीटर ।

कम्यूनिटी सेंटर-

- भूतल का कबर्ड एरिया - 1709.86 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 1436.00 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल का कबर्ड एरिया- 1110.00 वर्ग मीटर ।

03- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के बेसमेंट का कुल कबर्ड एरिया 75074.30 वर्ग मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है ।

04- प्रश्नगत प्रस्तावित टावरों की अधिकतम ऊँचाई 44.90 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है ।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्डस श्रेणी:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2016 में समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्था:-

01- पहुँच मार्ग :-प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई मानचित्र में 45 मीटर प्रदर्शित है ।

02- सेटबैक:- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है:-

- अग्रभाग- 13.00 मीटर ।
- पृष्ठ भाग- 13.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम- 13.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय- 13.00 मीटर ।
- टावरों के मध्य- 13.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियामावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा,प्रश्नगत भवन के चारो तरफ न्यूनतम 06 मीटर सेटबैक सदैव मोटरेबुल व अवरोधमुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा ।

03- निकास मार्ग:- प्रश्नगत प्रस्तावित प्रत्येक टावर में भूतल से उपरी तलों हेतु 02-02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौड़ाई 01.50 मीटर व कम्यूनिटी भवन में 02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौड़ाई 02.00 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है तलों पर समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

04- रिफ्यूज एरिया:-प्रश्नगत प्रत्येक टावर में बालकनी मानचित्र में प्रदर्शित है

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0-2016 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने अनिवार्य है :-

01- भूमिगत टैंक :- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के परिसर में 300 के0एल0 पानी के क्षमता का भूमिगत टैंक मानचित्र में प्रदर्शित है ।

02- पम्प :- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 विद्युत चालित पम्प (01 स्प्रिंकलर 'क' 01 हाईड्रेट पम्प) व समकक्ष क्षमता का 01 डीजल चालित पम्प एवं 180 एल.पी.एम. क्षमता का 02 जॉकी पम्प (01 स्प्रिंकलर व 01 हाईड्रेट पम्प) तथा 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का वाटर कर्टेन पम्प मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है ,प्रश्नगत प्रस्तावित टावरों में हाईड्रेटों की संख्या 200 से अधिक हो रही है इसलिए एन0बी0सी0-2016 ,पार्ट-04 के टेबल -07 के नोट संख्या 22 व 23 के अनुसार उक्त वर्णित क्षमता का 02 अतिरिक्त पम्प सेट इस प्रकार कुल 03 सेट फायर पम्प का अधिष्ठापन कराया जाना अनिवार्य होगा । प्रस्तावित परिसर के रिंगमेन में पानी का प्रेशर मानक के अनुसार मेंटेन करने हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का बूस्टर पम्प का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा , समस्त फायर पम्पों को स्वाचालित पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी0 आई0 एस0-3844-1989 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा ।

03- होजरील:-प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लाक के मानचित्र में होजरील ,लैडिंग वाल्व आई.एस. -3844 के मानको के अनुसार प्रदर्शित है ।

04- वेटराइजर :- प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लाक के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार प्रदर्शित है जिसको पम्प रूम से भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0-3844-1989 के अनुसार संयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

05- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाईप तथा ब्रांच पाईप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0 13039:1991 के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है ।


06- हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :-प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लाक के मानचित्र में एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम प्रदर्शित है ।

07- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के सम्पूर्ण बेसमेंट में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0 बी0 सी0-2016 के मानको के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है । स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा, बेसमेंट,में कम्पार्टमेंटेशन एन0 बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।

08- टैरिस टैंक :-प्रश्नगत प्रस्तावित प्रत्येक टावर के टैरिस पर टैरिस टैंक 5 हजार लीटर व कम्यूनिटी ब्लाक के टैरिस पर 20000 लीटर पानी के क्षमता का मानचित्र में प्रदर्शित है ।

- 09- टैरिस पम्प:- प्रश्नगत कम्यूनिटी ब्लाक के टैरिस पर टैरिस टैंक के पास 450 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरिस पम्प मानचित्र में प्रदर्शित है ।
- 10- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190-2010 के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है ।
- 11- एक्विजिट साईन :- प्रश्नगत भवन में एक्विजिट साईनेज प्राविधानित किए जाने होंगे ।
- 12- स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम:-
 ए0- प्रश्नगत प्रत्येक टावर में इंटरनल व एक्सटर्नल स्टेयरकेश पर 02 एच फायर रेटिंग का फायर/स्मोक चेक डोर लगाया जाना अनिवार्य होगा ।
 बी0- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम एन0बी0सी0-2016 ,पार्ट-04 ,फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रस्तर 4.4.2.5 के बिन्दु संख्या ए0 से एच0 तक में उल्लिखित मानको के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 13-प्रेसराईजेशन प्रणाली :-
 01- प्रश्नगत भवन के स्टेयरकेश व लिफ्ट लॉबी व कोरीडोर को एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रेशराईज किया जाए ।
 16- पी0ए0 सिस्टम :-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में अधिष्ठापित कराया जाना आवश्यक होगा ।
- 14- कम्पार्टमेंटेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन एन0बी0सी0-2016, पार्ट-04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रस्तर 4.5 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 15- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में इमरजेंसी /एस्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2016,पार्ट-04 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 16- भवन में एन0बी0सी0-2016 में उल्लिखित मानक के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उसमें भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयरकेशों व कोरीडोर की लाईटो , स्टैड बाई फायर पम्प तथा स्मोक एक्सट्रैक्सन व प्रेशराईजेशन सिस्टम को पृथक लाईन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा ।
- 17- प्रस्तावित भवन के ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा हेतु हाई वेलास्टिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा ।
 उपरोक्तानुसार मेसर्स अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फा0 लि0 सेक्टर-डी,द्वितीय तल शापिंग स्क्वायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी,सुल्तानपुर रोड,लखनऊ द्वारा सेक्टर-सी0, पाकेट-06,ग्रुप हाउसिंग-01,सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड,लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ संस्तुति की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाईयों में अग्नि से सुरक्षा संबंधित सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 में उल्लिखित मानको व आई0एस0-3844-1989 एवं नवीनतम संसोधन के अनुसार कराये जायेंगे । भवन निर्माण के दौरान यदि एन0बी0सी0-2016 पार्ट-04 के प्राविधानो में कोई ऐसा संसोधन होता है जो कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उसको समाहित किया जाना अनिवार्य होगा । भवन के निर्माणोपरान्त, भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाए मानक के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अंतिम अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

संलग्नक:मूल पत्र

 24.07.18
 (के0के0मिश्र)
 अग्निशमन अधिकारी
 पी0जी0आई0
 लखनऊ